

संख्या: 14/17/123
तिथि: 29/11/2023
पावती समय: 01:31 PM

तारांकित प्रश्न

विषय :- किसानों की फसल खराबे
मंत्री:- श्री. जय प्रकाश दलाल
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-

प्रेषक:
श्री अभय सिंह चौटाला(46) , सदस्य

सेवा में:
सचिव
हरियाणा विधान सभा
Delhi-1

महोदय,
देता हूं जिसका उत्तर
* कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएं कि :

क्या कृषि मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि
क- पिछले तीन सालों (2020-21 से 2022-23) में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनियों की तरफ किसानों की फसल खराबे से हुए नुकसान की कुल कितनी राशि वर्षवार तथा जिलावार बकाया है, यदि हां तो,
ख- उपरोक्त (क) के अनुसार बकाया राशि के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और अदायगी न होने की स्थिति में दोषी कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है उसका ब्यौरा दिया जाए ?
ग- खरीफ 2023 के जून, जुलाई में ज्यादा बारिश के कारण कपास व धान की फसलों को हुए भारी नुकसान हुआ, क्या विभाग द्वारा फसलों को हुए नुकसान का मूल्यांकन करवाया गया है या नहीं, अगर हां
घ- तो किसानों को उसका कितना मुआवजा जिलावार दिया गया है, विवरण सहित बताएं।

भवदीय
श्री अभय सिंह चौटाला(46)
सदस्य
29/11/2023 01:31 PM

This document is computer generated and signature is not required.

FOR OFFICE USE